जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 03.10.2024**

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामदः-

आज दिनांक 03.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राजन पुत्र ताराचन्द निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 छुरा।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल बरामदः-</u>

आज दिनांक 03.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वारंटी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल निर्देशन में थाना बाबरी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोबाईल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत सोशल मीडिया पर एक युवक द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बाबरी पुलिस द्वारा संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक बाबरी को दिये गये थे।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.नितिन पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम खेड़ी पट्टी थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलो में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व अर्थदंड से दण्डित किया गया:-</u>

1. वर्ष 2017 में अभियुक्त मुन्तयाज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 390/2017 धारा 379/411 भादवि 4/21 खनन अधिनियम पंजीकृत किया गया था । अभियुक्त मुन्तयाज उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 03.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379/411 भादवि 4/21 खनन अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि व 6,000/- रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2009 में अभियुक्त मुर्सलीन पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला रेतेवाला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 951/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त मुर्सलीन उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.10.2024 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/-रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्त उपरोक्तः-</u>

1.मुन्तयाज पुत्र युसुफ निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

2.मुर्सलीन पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला रेतेवाला थाना कैराना जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>